—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 07/01/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के खाता सं. 107176 के प.नं. 34/300 (43) किला नं. 18, 19, 22, 23, प.नं. 34/301 (44) किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 3.542 हैक. नहरी खातेदारी ब.हि. ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 12 पीबीएन के खाता सं 74/93 के प.नं. 34/302 (55) किला नं. 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 20/3 की कुल 1.265 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में चल रहे रास्ता प.नं. 34/302 (55) किला नं. 4/1 में 0.015 हैक. बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता व किला नं. 3/1 में 0.003 हैक. उतरी पूर्वी कौने पर घुमावदार (10 गुणा 10) चले रहे रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि के किला नं. 23 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है । इसलिये

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के प.नं. 34/302 (55) किला नं. 4/1 में 0.015 हैक. बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता व किला नं. 3/1 में 0.003 हैक. उतरी पूर्वी कौने पर घुमावदार (10 गुणा 10) चले रहे रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि या डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थी सं.1 को देने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है जिनकी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होना है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 पीबीएन के प.नं. 34/302 (55) किला नं. 4/1 में 0.015 हैक. बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता व किला नं. 3/1 में 0.003 हैक. उतरी पूर्वी कौने पर घुमावदार (10 गुणा 10) चले रहे रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं 1 की ओर से श्री चैन सिंह अधिवक्ता हाजिर वकातलनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र मन अप्रार्थी स. 1 की ओर निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 1 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.2 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बधित है, जिसका सिद्ध भार प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कथन स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 4 में वर्णित समस्त तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थीगण मन अप्रार्थी स. 1 की कृषि भूमि प.न.34/302 (55) के किला न.4/1 व 3/1 से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है, असत्य व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। इसी प्रकार प्रार्थीगण का यह कथन कि उक्त रास्ता मौका पर चालु है, पूर्णत्या असत्य होने के कारण अस्वीकार है, मन अप्रार्थी के रकबे से होकर ऐसा कोई रास्ता नही है । प्रार्थीगण ने मन अप्रार्थी की कृषि भूमि से होकर अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कभी आवागमन नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा कथित रास्ता के अलावा निकटतम व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण अर्सा से करता आ रहा हैं। प्रार्थीगण मन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का किसी कदर हकदार नहीं है। विशिष्ट कथन अतिरिक्त कथन में दर्ज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स 5 में वर्णित कथन कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.6 में वर्णित कथन कानूनी है।

अतिरिक्त कथन–यह कि वस्तुत प्रार्थीगण ने मन अप्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र की चरण स. 3 में वर्णित कृषि भूमि में कथित रास्ता से कभी आवागमन नहीं [illegible] प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.न.34/300 व 34/30[illegible] स्थित है, दोनो पत्थरों की भूमि के लिए प.न. 33/300, 33/301, 33/302 प्रत्येक के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 हैक. गैरमुमकिन रास्ता स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि से मात्र 1 बीघा दुरी पर स्थित है। प्रार्थीगण के लिए यही रास्ता निकटतम और सुविधाजनक है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर अब तक आवागमन करते रहे है । इस प्रकार प्रार्थीगण प.न.34/300 के किला न. 20, 21 अथवा प.न. 34/301 के किला न. 1, 10, 11 में तथा इसी कदर प.न. 34/301

Signature Not Verified
Digitally signed by Umesh Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के किला न. 20,21 में काश्त की सुविधानुसार अपने रकबे में आवागमन के लिए सम्बंधित काश्तकार को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर रास्ता प्राप्त कर सकते है ।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि प.न. 34/301 के किला न. 23 के पूर्वी दिशा इसी पत्थर के किला न. 24 के पश्चात् किला न. 25 में भी 0.038 हैक. गैरमुमकिन रास्ता स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण प.न. 34/301 के किला न. 24 से पूर्वी – पश्चिम दिशा से रास्ता प्राप्त सकते है । यह रास्ता भी प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक निकटतम व सीधा रास्ता है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा मन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से चाहा गया कथित रास्ता प.न. 34/302 के किला न. 4 व 3 में घुमावदार रास्ता होगा। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते प.न. 34/302 के किला न.4 में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये गये रास्ते के बीचो बीच मन अप्रार्थी का शीशम का पुराना वृक्ष भी स्थित है।

यह कि मन अप्रार्थी की कृषि भूमि प.न.34/302 में किला न.2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 20/3 कुल 1.265 हैक है। मन अप्रार्थी की किला न. 2 को छोड़कर सभी किलो में रास्ता अथवा खाला की भूमि कटी हुई है। मन अप्रार्थी की भूमि दो भागो में त्रिभुजाकार भूमि है व काश्त की सुविधा से बेहद जटील भूमि है। रास्ता खाला की भूमि कटने के कारण काश्त योग्य भूमि 1.074 हैक. ही बची है और वो भी त्रिभुजाकार है, जिससे ट्रैक्टर व कृषि यंत्र घुमाने में बेहद परेशानी होती है मन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से एक और रास्ता से भूमि का आकार और बेढ़ब हो जाएगा और भूमि भी और कम हो जायेगी। इस प्रकार मन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना विधि नियमों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा पत्रांक 699 दिनांक 28.10.25 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 12 पीबीएन के प.नं. 34/302 (55) कि.नं. 4/1 में 0.015 हैक्ट. व कि.नं. 3/1 में 0.003 हैक्ट में चाहा गया है जोकि मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उस भूमि में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से कम दूरी रास्ता नही है प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभ्य पक्ष सुनी बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 699 दिनांक 28.10.25 के आधार पर [illegible] कर आदेश पारित किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा चक 12 पीबीएन के [illegible] 34/302 (55) कि.नं. 4/1 में 0.015 हैक्ट. बजानिब उत्तर दिशा में पूर्व [illegible] 3/1 में 0.003 हैक्ट उत्तरी पूर्वी कोने पर घुमावदार (10 [illegible] 10) [illegible] किया जाता है स्वीकृत रास्ते की एवज में प्रार्थीगण डीएलसी की दूगना राशि प्रतिकर के [illegible] में खजाना राज में जमा करवायें जाने के आदेश पारित किए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में प्रतिकर राशि जमा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 7/1/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:54 IST
Reason: SelfAttested